"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर/17/2002."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 259] रायपुर, बुधवार, दिनांक 9 अक्टूबर 2002—आश्विन, 17 शक 1924

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 9 अक्टूबर 2002

अधिसूचना

क्रमांक 3629/473/2001/55.—विभागीय अधिसूचना क्रमांक 1182/473/2001/चि.शि. दिनांक 23-4-2002 के द्वारा जारी "छत्तीसगढ़ मेडिकल तथा डेंटल स्नातक प्रवेश परीक्षा नियम-2002" की कंडिका-5 में उल्लेखित तालिका ख 2, तालिका ख-4 तथा तालिका ख-5 को निम्नानुसार पढ़ा जावे :—

तालिका ख-2

छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साईंसेज बिलासपुर में प्री.एम.टी. 2002 की पेमेंट सीटों का आरक्षण

क्र. (1)	श्रेणी (2)	बिना संवर्ग (3)	महिला (4)	सैनिक (5)	स्व. सं. सै. (6)	योग (7)
1.	अनारक्षित	11	5	1	1	18
2.	अनुसूचित जाति	3	2	0	0	5
3.	अनुसूचित जनजाति	5	2	0	0	7
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग	3	2	0	0	5
	योग	22	11	1	1	35

तालिका ख-4

छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साईंसेज बिलासपुर में पी.एम.टी. 2002 की फ्री सीटों का आरक्षण

क्र. (1)	श्रेणी (2)	बिना संवर्ग (3)	महिला (4)	सैनिक (5)	स्व. सं. सै. (6)	योग (7)
1.	अनारक्षित	13	6	1	1	21
2.	अनुसूचित जाति	4	2	0	0	6
3.	अनुसूचित जनजाति	6	3	0	0	9
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग	4	2	0	0	6
	योग	27	13	1	1	42

तालिका ख-5

छत्तीसगढ़ डेंटल कालेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट राजनांदगांव में पी.एम.टी. 2002 की फ्री सीटों का आरक्षण

क्र. (1)	श्रेणी (2)	बिना संवर्ग (3)	महिला (4)	सैनिक (5)	स्व. सं. सै. (6)	योग (7)
1.	अनारक्षित	13	6	1	1	21
2.	अनुसूचित जाति	4	2	0	0	6
3.	अनुसूचित जनजाति	6	3	0	0	9
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग	4	2	0	0	6
	योग	27	13	1	1	42

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रमोद सिंह, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 9 अक्टूबर 2002

क्रमांक 3630/473/2001/55.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 3629/473/2001/55, दिनांक 9-10-2002 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रमोद सिंह, उप-सचिव.

Raipur, the 9th October 2002

NOTIFICATION

No. 3629/473/2001/55.—Table B-2, Table B-4 and Table B-5 mentioned in para-5 of "The Chhattisgarh Medical and Dental Graduate Entrance Examination Rules, 2002" issued vide departmental notification No. 1182/473/2001/ME Dated 23-4-2002 be read as follows :—

TABLE B-2

Reservation of PMT-2002 Payment Seats in Chhattisgarh Institute of Medical Sciences Bilaspur

S. No. (1)	Category (2)	No Class (3)	Women (4)	Military Personnel (5)	Freedom Fighter (6)	Total (7)
1.	Unreserved	11	5	1	1	18
2.	Scheduled Caste	3	2	0	0	5
3.	Scheduled Tribe	5	2	0	0	7
4.	Other Backward Class	3	2	0	0	5
	Total	22	11	1	1	35

TABLE B-4

Reservation of PMT-2002 Free Seats in Chhattisgarh Institute of Medical Sciences Bilaspur

S. No. (1)	Category (2)	No Class (3)	Women (4)	Military Personnel (5)	Freedom Fighter (6)	Total (7)
1.	Unreserved	13	6	1	1	21
2.	Scheduled Caste	4	2	0	0	6
3.	Scheduled Tribe	6	3	0	0	9
4.	Other Backward Class	4	2	0	0	6
	Total	27	13	1	1	42

TABLE B-5

Reservation of PMT-2002 Free Seats in Chhattisgarh Dental College and Research Institute Rajnandgaon

S. No. (1)	Category (2)	No Class (3)	Women (4)	Military Personnel (5)	Freedom Fighter (6)	Total (7)
1.	Unreserved	13	6	1	1	21
2.	Scheduled Caste	4	2	0	0	6
3.	Scheduled Tribe	6	3	0	0	9
4.	Other Backward Class	4	2	0	0	6
	Total	27	13	1	1	42

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
PRAMOD SINGH, Deputy Secretary.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2002.